न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2014/180 दायर दिनांक 23.09.2014

वादी		प्रतिवादीगण
1. असगर खां पुत्र मजीद खां जाति कायमखानी निवासी चौलु खां तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. कासम खां पुत्र नब्बू खां 2. अस्त अली खां पुत्र नब्बू खां 3. सलेमान खां पुत्र अकबर खां 4. अनवर खां पुत्र अकबर खां 5. बाबू खां उर्फ अजीज खां पुत्र मजीद खां 6. शब्बीर खां पुत्र अकबर खां 7. जुल्फीकार खां पुत्र अकबर खां समस्त जाति कायमखानी निवासी चौलू खां तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान 8. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :— पक्षकारान

—:: निर्णय ::—

दिनांक 12.06.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी के पिता स्व0 मजीद खां ने खेत खसरा सं0 186 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा वाके सरहद चौलू खां में इस खसरा नं0 के खातेदार स्व0 चुन्नीदेवी के पति स्व0 उदाराम जाट से खरीद किया था। खातेदार चुन्नी देवी पत्नी स्व0 उदाराम का दिनांक 01.08.2014 को स्वर्गवास हो चुका है तथा इनके पति उदाराम का दिनांक 08. 05.1998 को स्वर्गवास हो चुका है। इन दोनों के कोई अपनी जायन्दा सन्तान नहीं है तथा ना ही कोई वारिसान है। स्व0 उदाराम ने खेत खसरा सं0 186 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा में से अपनी खातेदारी की सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 03. 07.1978 को मजीद खां को जरिये रजिस्ट्री बेचान कर दिया था मजीद खां का दिनांक 09.10.2010 को स्वर्गवास हो गया उनके वारिसान वादी व प्रतिवादी सं0 05 बाबू खां उर्फ अजीज खां है। यह है कि वादी व प्रतिवादी सं0 05 का खेत खसरा सं0 186 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा की खातेदारी में नाम नहीं होने के कारण यह दावा करना लाजमी आया है। इस खसरा नं0 में से खरीदे गये अन्य खातेदार के नाम जमाबन्दी में आ चुके है।

प्रार्थना वादी है कि खेत खसरा सं0 186 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा वाके सरहद चौलू खां में खातेदार चुन्नीदेवी जिनकी मृत्यू हो चुकी है के स्थान पर वादी व प्रतिवादी सं0 05 का नाम दर्ज किया जावें।

प्रकरण आज न्याय आपके द्वार कैम्प दौलतपुरा में पेश हुआ। वादी स्वयं उपस्थित। मजमे आम में प्रकरण के संबंध में जानकारी ली गई।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Non Official

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2014 / 180
दायर दिनांक 23.09.2014, निर्णय दिनांक 1.06.2017
असगर खां बनाम कासम खां वगैरा।

वादी के पिता द्वारा दिनांक 03.07.1978 को स्व0 उदाराम से जरिये रजिस्ट्री उक्त भूमि क्रय की थी। वादी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है परन्तु उक्त जायगा का नामान्तरकरण आज दिनांक तक नहीं भरा गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मजमें आम में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद चौलु खां के खसरा सं0 186 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा वाके में खातेदार स्व0 चुन्नीदेवी पत्नी स्व0 उदाराम जिनकी मृत्यू हो चुकी है के स्थान पर वादी असगर खां व प्रतिवादी सं0 05 बाबू खां उर्फ अजीज खां के नाम वर्तमान कब्जा सुदा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **12.06.2017** को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प दौलतपुरा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकददमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2014/180 — दायर दिनांक 23.09.2014

वादी		प्रतिवादीगण
1. असगर खां पुत्र मजीद खां जाति कायमखानी निवासी चौलु खां तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. कासम खां पुत्र नब्बू खां 2. अस्त अली खां पुत्र नब्बू खां 3. सलेमान खां पुत्र अकबर खां 4. अनवर खां पुत्र अकबर खां 5. बाबू खां उर्फ अजीज खां पुत्र मजीद खां 6. शब्बीर खां पुत्र अकबर खां 7. जुल्फीकार खां पुत्र अकबर खां समस्त जाति कायमखानी निवासी चौलू खां तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान 8. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 12.06.2017

यह मुकददमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री वादीपक्ष की ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद चौलु खां के खसरा सं0 186 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा वाकै में खातेदार स्व0 चुन्नीदेवी पत्नी स्व0 उदाराम जिनकी मृत्यू हो चुकी है के स्थान पर वादी असगर खां व प्रतिवादी सं0 05 बाबू खां उर्फ अजीज खां के नाम वर्तमान कब्जा सुदा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग..........–.......... बाबत..................–..................खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 12.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 कैम्प कोर्ट दौलतपुरा में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner